

(लेखपत्र का संक्षिप्त विवरण)

- | | | |
|-----|---|---|
| | किस्म दस्तावेज | — |
| 1. | भूमि का प्रकार | — |
| 2. | वार्ड/परगना | — |
| 3. | मौहल्ला | — |
| 4. | सम्पत्ति का विवरण | — |
| 5. | मापन कि इकाई | — |
| 6. | सम्पत्ति का क्षेत्रफल | — |
| 7. | सड़क की स्थिति | — |
| 8. | कॉर्नर/पार्क आदि | — |
| 9. | सम्पत्ति का प्रकार | — |
| 10. | कुल आच्छादित क्षेत्रफल | — |
| 11. | पेडों का मूल्यांकन | — |
| 12. | बोरिंग कूआ आदि | — |
| 13. | सम्पत्ति एरिया बहुमंजिला भवन की स्थिति में— | |
| 14. | सहकारी आवास समिति से सम्बन्धित— | |
| 15. | पैमाइश | — |
| 16. | प्रतिफल की धनराशि | — |
| 17. | बैनामा मालियत | — |
| 18. | सर्किल रेट | — |
| 19. | स्टाम्प | — |

प्रथम पक्षगण की संख्या—2/विक्रेता का विवरण:—

कल्याण कन्सट्रक्सन नगला कली आगरा द्वारा पार्टनर श्री सुरेश चन्द्र पुत्र स्व० श्री श्योंप्रसाद व श्रीमती कमलेश शर्मा पत्नी श्री सुरेश चन्द्र निवासीगण—नगला कली तह० व जिला आगरा जिनको विक्रय के समस्त अधिकार प्राप्त है। मो० नं. 9412264188 आधार संख्या 2406 3557 0166 पैन नं. ए. ए. के. एफ. के. 9764 एच.
—विक्रेता/प्रथम पक्षगण

एवं

द्वितीयपक्ष की संख्या/क्रेता का विवरण:—

श्री _____ पुत्र श्री _____ निवासी—
पैन नं. _____ आधार संख्या _____ —क्रेता/द्वितीयपक्ष

सम्पत्ति का विवरण:-

जो कि एक किता प्लाट संख्या _____ स्थित खसरा नं. 75, 76, 77, व 78 व तादाद _____ वर्गगज यानि कि _____ वर्गमीटर वाकै, शिवगंगा रेजीडेन्सी मौजा नगला कली तहसील व जिला आगरा पर स्थित है जिसकी सीमायें नीचे दी गयी है, जो साथ लगे नक्शे में ब रंग लाल से स्पष्ट रूप से दर्शायी गयी है। उक्त प्लाट पर कोई निर्माण नहीं है। जिसकी पैमाइस इस प्रकार है। पूरब से पश्चिम _____ व उत्तर से दक्षिण _____ जिसकी सीमाये निम्न हैं- चौहददी-पूरब-प्लाट संख्या 31 पश्चिम-प्लाट संख्या 33 उत्तर-रास्ता व निकास 7.5 मीटर चौडा वादहू पार्क दक्षिण-प्लाट संख्या 37

विदित हो कि विक्रीत प्लाट कॉर्नर का नहीं है व पार्क के सामने का है। उक्त प्लाट का बैनामा क्रेता पुरुष होने के कारण बैनामा मे नियमानुसार 7 प्रतिशत स्टाम्प नियमानुसार अदा किया जा रहा है। उपरोक्त प्लाट की जमीन के मालिक, काबिज प्रथमपक्ष है। उपरोक्त प्लाट वशमूल दीगर जमीन में प्रथमपक्ष का नाम राजस्व अभिलेखों व सरकारी माल देहा में वहैसियत मालिक के दर्ज चला आ रहा है। आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा कॉलोनी का मानचित्र स्वीकृत किया जा चुका है कि जिसमें सिवाय प्रथमपक्ष के अन्य कोई दीगर व्यक्ति हकदार व हिस्सेदार वगैरा किसी प्रकार का नहीं है और जो प्रथमपक्ष की तरफ से आज की तारीख तक हर प्रकार के ऋण, विक्रय, दान, जमानत, सौदे, दावे, झगड़े, इक्यूटेविल

मोरगेज व हर प्रकार की देनदारियों व जिम्मेदारियों आदि से कतई पाक व साफ है। उक्त प्लाट की जमीन नजूल व राजकीय आस्थान की सम्पत्ति नहीं है और न ही राज्य सरकार द्वारा किसी योजना में अधिग्रहित की गयी है और न ही कोई मुआवजा प्रथमपक्ष या अन्य ने प्राप्त किया है। विदित हो कि प्रथमपक्ष को उक्त वर्णित प्लाट का विक्रय करना व मिलने कीमत माकूल वक्त मौजूदा व फायदा खुद के स्वीकार है जिसकी द्वितीय पक्ष सबसे अधिक कीमत अदा कर रहे है जिसमें प्रथमपक्ष का पूरा पूरा लाभ है, अतः प्रथमपक्ष को उक्त वर्णित भूखण्ड का विक्रय करना क्रेता द्वितीयपक्ष के हक में मन्जूर है। लिहाजा प्रथमपक्ष ने अपनी राजी व

खुशी से खूब सोच व समझकर बिना बहकाये व सिखाये व बिना दबाव किसी नाजायज के इन्द्रियों की ठीक दशा में प्लाट मजकूर वाला को साथ तमाम हदूद व हकूक मालिकाना के व बिना छोड़े किसी हक व शै व जुज शै के बिल एवज मुवलिंग _____/रु0-(_____) जिसके आधे _____/रुपये (रु0) होते है।

मैं वदस्त श्री _____ पुत्र श्री _____ निवासी—
क्रेता द्वितीय पक्ष उक्त के हक में पूर्ण आधिपत्य व स्वामित्व व गुडटायटिल सहित
वैय कतई किया और बेच दिया। इस तरह प्रथमपक्ष ने कीमत का कुल रूपया इस
प्रकार प्राप्त किया कि

➤ मु0 _____/रु0 वजरिये चैक सं. _____ दिनांक _____ को
बैंक शाखा _____ द्वारा प्राप्त किये जो कि फौर हाऊसिंग
डवलेपमेन्ट फाईनेंस कार्पोरेशन लि0 द्वारा प्रदत्त है। व

➤ मु0 _____/रु0 वजरिये चैक सं. _____ दिनांक _____ को
द्वारा प्राप्त किये व

➤ मु0 _____/रु0 वजरिये/एकाऊन्टपेयी चैक सं. _____ दिनांक
को _____ शाखा _____ द्वारा समक्ष गवाहों के प्राप्त कर लिये है। जिसका
प्रथम पक्षगण पाना इकवाल करते हैं इस तरह बावत कीमत अब द्वितीयपक्ष से
कुछ पाना बाकी नहीं रहा और न ही आयन्दा होगा।

लिहाजा कब्जा व दखल मालिकाना विक्रीत प्लाट पर प्रथम पक्षगणों ने मानिन्द
अपने क्रेता द्वितीयपक्ष का करा दिया और द्वितीयपक्ष को विक्रीत प्लाट का एक
मात्र मालिक मुस्तकिल व काविज बना दिया अब उक्त प्लाट में प्रथम पक्ष का कुछ
अधिकार बाकी नहीं रहा। द्वितीयपक्ष को हक व अधिकार हैं कि वह विक्रीत प्लाट
से आगरा विकास प्राधिकरण आगरा के नियम विनियम तथा कॉलौनी की सोसाइटी

के खर्चे व सभी नियमों का क्रेता पक्ष को पालन करना होगा तथा नियमानुसार
क्रेता चाहे जैसे लाभन्वित हो निर्माण करावे और प्रथम पक्ष के नियमानुसार रहन वै
हिवै आदि जो चाहे सो करें किन्तु द्वितीय पक्ष उक्त प्लाट पर निर्माण करायेगा तो
वह ए0 डी0 ए0 के नियमानुसार ही करायेंगे। यह भी विदित हो कि विक्रेता
प्रथमपक्ष के सभी नियम व शर्तें क्रेता पक्ष के ऊपर लागू व बाध्यकारी है व रहेगे

द्वितीयपक्ष अपने नाम का इन्द्राज कागजात सरकारी में वहैसियत मालिक के दर्ज
करा ले प्रथम पक्ष अपनी पूर्ण सहमति प्रदान करते हैं। अगर भविष्य में वेवजह
दावेदारी किसी हकदार व हिस्सेदार की से या नुक्स टायटिल प्रथम पक्षगणों की
ओर से या दीगर वजह से विक्रीत प्लाट का कब्जा जुज या कुल द्वितीयपक्ष से
निकल जावे या द्वितीयपक्ष को कोई रकम किसी को अदा या खर्च करनी पड़े तो
ऐसी तमाम सूरतो में उस कुल की जवाबदेही व जिम्मेदारी व अदायगी वापिसी जर

समन असल जुज या कुल मय रकम शुदा मय हरजा खर्चा मय सूद कानूनी प्रथम
पक्षगणों की होगी इसमें किसी को कोई उज्र व एतराज नहीं होगा। स्टाम्प बैनामा
हाजा नियमानुसार अदा किया गया है। स्टाम्प एक्ट की धारा 27, के प्रविधान का
पूर्ण पालन किया जा रहा है। अतः यह विक्रय पत्र हम दोनों पक्षों ने आज दिनांक

_____ ई0 को इसके प्रारूप से सन्तुष्ट होकर नीचे लिखे अपने परिचित साक्षियों के समक्ष अपने-अपने हस्ताक्षरों के द्वारा निष्पादित किया तथा साक्षियों ने भी पक्षों के कहने पर उसी समय तथा उन्हीं के समक्ष अपनी गवाही दी। इस विक्रय पत्र का प्रारूप पक्षों के दिये गये निर्देश के अनुसार एवं उनकी सन्तुष्टि पर व मसौदा _____ सदर तहसील आगरा ने तैयार किया व टाईप वाई सदर तहसील आगरा।

गवाह:-श्री _____ पुत्र श्री _____ निवासी-_____ मो0 नं.

गवाह:-_____ पुत्र श्री _____ निवासी-_____ तह0 व जिला आगरा मो0 नं.